न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री दीपक कुमार सैकडा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सैकडा
मैसर्सः—दीपक जनरल स्टोर मीनू स्कूल के पास, गंगापुर रोड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्रीमति सुनीता शर्मा पत्नि श्री दिलीप कुमार शर्मा (प्रोपराईटर)
मैसर्सः—राधे रानी ड्रिंकिंग वाटर लाल कोठी, गुप्तेश्वर रोड दौसा जिला दौसा।
3. श्री हिमांशु गोयल पुत्र श्री राकेश गोयल (प्रोपराईटर)
मैसर्सः—डी. पी. एण्ड सन्स पेट्रोल पम्प के पास बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर
4. श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद गोयल (प्रोपराईटर)
मैसर्सः— विरमा एन्टरप्राइजेज गुदरिया फार्महाउस बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उपस्थित।
: श्री चन्द्रमोहन शर्मा प्रतिनिध अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 29.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 27.10.2023 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्सः— दीपक जनरल स्टोर मीनू स्कूल के पास, गंगापुर रोड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री दीपक कुमार सैकडा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सैकडा उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में साफ सुथरी रैक में लगभग **20 X 250** ग्राम खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** में से **8 X 250** ग्राम खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** खरीदा। जिसकी कीमत 640 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा **8 X 250** ग्राम खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** को चार बराबर—बराबर भागो में बांटर प्रत्येक भाग **2 X 250** ग्राम खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Bran**[illegible] लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कोड एवं क्रमांक **AG**—3957 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर, खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**—3957 नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवाकर चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील पैकिट व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4485/एक्ट /2023/4656 दिनांक 14.11.2023 प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** का नमूना **Food containing extraneous matter under section 3(1)(i)** पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रतिनिधि श्री चन्द्रमोहन शर्मा उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4485/एक्ट/2023/4656 दिनांक 14.11.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया है। खाद्य विश्लेषक से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ **Food containing extraneous matter under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act,** 2006 पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** का विक्रय किया जाकर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 54 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की दुकान जो कि गीजगढ में स्थित है [illegible] कुमार ही है उक्त दुकान से चाय के सैम्पल टी हिन्द्र ब्राण्ड के दिनांक 27.10.2023 [illegible] लि[illegible]ये थे, उक्त लिये गये सैम्पल में **Food containing extraneous matter under section 3(1)(i)** [illegible] है। उक्त सैम्पल को मैने बिल्कुल पैक मैसर्स राधारानी ड्रिंकिंग वाटर से खरीद किया [illegible] जिसमें किसी भी प्रकार के कंटेक्ट के लिये प्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। उक्त लिये गये सैम्पल का [illegible]ल भी प्रार्थी के पास मौजूद है। प्रार्थी उक्त सैम्पल का निर्माता भी नहीं है। प्रार्थी को दिये गये [illegible]स की कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की दुकान जो कि दौसा में स्थित है जिसकी प्रोपराईटर श्रीमति सुनीता शर्मा ही है। मेरी दुकान से उक्त चाय टी हिन्द्र ब्राण्ड दीपक कुमार सैकडा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सैकडा मैसर्स दीपक जनरल स्टोर गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा को विक्रय किया गया था। उक्त चाय प्रार्थीया ने श्री हिमांशु गोयल पुत्र श्री राकेश गोयल मैसर्स डी पी एण्ड सन्स बाडी धौलपुर से क्रय की थी। जिसमे किसी भी प्रकार के कंटेक्ट के लिये प्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। उक्त लिये गये सैम्पल का बिल भी प्रार्थी के पास मौजूद है। प्रार्थी उक्त सैम्पल का निर्माता भी नहीं है। प्रार्थी को दिये गये नोटिस की कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की दुकान जो कि पेट्रोल पम्प के पास बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर में स्थित है जिसकी प्रोपराईटर हिमांशु गोयल ही है। मेरी दुकान से उक्त चाय टी हिन्द ब्राण्ड सुनीता शर्मा पत्नि दिलीप कुमार शर्मा मैसर्स राधारानी ड्रिकिंग वाटर लालकोठी, गुप्तेश्वर रोड दौसा को विक्रय की थी। हमने उक्त चाय राकेश गोयल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद गोयल मैसर्स विरमा एन्टरप्राइजेज गुदरिया फार्म हाउस बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर से खरीद किया था। जिसमे किसी भी प्रकार के कंटेक्ट के लिये प्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। उक्त लिये गये सैम्पल का बिल भी प्रार्थी के पास मौजूद है। प्रार्थी उक्त सैम्पल का निर्माता भी नहीं है। प्रार्थी को दिये गये नोटिस की कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी की फर्म जो कि गुदरिया फार्म हाउस बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। जिसका प्रोपराईटर राकेश कुमार गोयल ही है। प्रार्थी की फर्म उक्त चाय टी हिन्द ब्राण्ड की निर्माता है। उक्त चाय हिन्द ब्राण्ड हमारे द्वारा ही बेची जाती है। दिनांक 27.10.2023 को हमारे रिटेलर मैसर्स दीपक जनरल स्टोर से सैम्पल लिये गये थे जिसमे **Food containing extraneous matter under section 3(1)(i)** पाया गया है। उक्त चाय हमारे द्वारा सिलीगुडी व आसाम से खुली चाय क्रय की जाती है। इसमे हमारे द्वारा एडिशनल इलायची के छिलके एड किये गये थे। जिसे हमने हमारे पैकेट पर मेंशन नहीं किया था और इस सैम्पल में ब्राउन कलर के टुकडे पाये गये थे इसके लिये हमने हमारे इन्टरनल जांच की है ये लॉट हमारा आगे से खराब आ गया था जिसे हमने पूरे मार्केट से उठाकर खत्म कर दिया है। इसके लिये हम क्षमा प्रार्थी है। इसके अलावा हमारी चाय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4485/एक्ट/2023/4656 दिनांक 14.11.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** का नमूना **Food containing extraneous matter under section 3(1)(i)** पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 द्वारा किया गया है एवं जरिये बिल अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 को रिटेल बिक्री किये जाने हेतु विक्रय किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 54 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 द्वारा निर्मित एवं विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय हिन्द ब्राण्ड **(Tea Hind Brand), extraneous matter under section 3(1)(i)** पाये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद गोयल (प्रोपराईटर) मैसर्सः– विरमा एन्टरप्राइजेज गुदरिया फार्म हाउस बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर पर 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 उक्त राशि निर्णय दिनांक 29.01.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– 29.01.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दीपक कुमार सैकडा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सैकडा
   मैसर्सः–दीपक जनरल स्टोर मीनू स्कूल के पास, गंगापुर रोड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्रीमति सुनीता शर्मा पत्नि श्री दिलीप कुमार शर्मा (प्रोपराईटर)
   मैसर्सः–राधे रानी ड्रिंकिंग वाटर लाल कोठी, गुप्तेश्वर रोड दौसा जिला दौसा।
5. श्री हिमांशु गोयल पुत्र श्री राकेश गोयल (प्रोपराईटर)
   मैसर्सः–डी. पी. एण्ड सन्स पेट्रोल पम्प के पास बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर
6. श्री राकेश कुमार गोयल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद गोयल (प्रोपराईटर)
   मैसर्सः– विरमा एन्टरप्राइजेज गुदरिया फार्महाउस बसेडी रोड बाडी जिला धौलपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested